आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।

19.12.13

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 91/13–14

विपरीत कुमार वनाम् जय कुमार

आदेश

आवेदक विपरीत कुमार पिता नाथुन सिंह ग्राम अंगारी थाना किंजर जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर आवेदक को बेदखली से रोकने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम अंगारी थाना किंजर जिला अरवल मे अवस्थित है,निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
39 25	1123 960	57 डी०	उतर– रंगलाल पंडित दक्षिण– सिवान पूरब– श्यामदेव पंडित पश्चिम–विद्या सिंह

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षी की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गयां और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित भूमि आवेदक की खतियानी भूमि है,खतियान आवेदक के परदादा स्व० बिटेश्वर सिंह के नाम से है। विवादित भूमि का राजस्व रसीद आवेदक के दादा के नाम से कट रही है। उक्त भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है लेकिन विपक्षी उक्त भूमि पर बाजबर्दस्ती आवेदक को बेदखल करना चाहते है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी ने विवादित भूमि को निबंधित वसिका से दिनांक 15.06.12 को क्रय किया है और क्रय उपरांत शांतिपूर्वक दखल काबिज है और राजस्व रसीद कट रही है। उपरोक्त भूमि के बिक्रेता मंजू देवी को यह भूमि अपने माता सुगिया देवी से बख्शीश के द्वारा दिनांक 06.03.98 को प्राप्त हुआ था। बिक्री के पूर्व प्रश्नगत् जमीन का रसीद बिक्रेता मंजू देवी के नाम कटती आ रही थी। हिन्दू विधि के अनुसार एक बार जब किसी भूमि को बिना शर्त दान कर दी जाती है तो दान कर्त्ता उक्त भूमि को पुनः वापस नही ले सकता है। अतः वाद खारिज करने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने विवादित जमीन पर खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर दावा किया है। आवेदक द्वारा एक निबंधित मोख्तार नामा दाखिल किया गया है जो दिनांक 13.05.2008 का है और मु० सुगिया देवी पति स्व० नन्हकू सिंह द्वारा आवेदक के पक्ष में निष्पादित है। परन्तु मु० सुगिया देवी ने पूर्व में ही दिनांक 06.03.98 को विवादित जमीन को अपनी पुत्री मंजु देवी,जो विपक्षी की भू–विक्रेता है,को बख्शीस कर दिया था। एक बार भूमि को बख्शीस करने के उपरान्त उसी भूमि का मोख्तार नामा किसी अन्य व्यक्ति को नही दिया जा सकता है और अगर दिया जाता है तो वह मोख्तार नामा आम शून्य होता है। अतः आवेदक के दावा को अस्वीकृत किया जाता है,वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

19.12

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

19.12

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।